तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अपील अशोक सिंधल बनाम सरकार (अति0जिला कलक्टर धौ0) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 5/2021)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
02-02-2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांकः सुगम/सूचना अधि0/2021/423 दिनांक 25.1.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी श्री अशोक सिंधल द्वारा दिनांक 4.11.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत परियोजना निदेशक स्वच्छ भारत अभियान धौलपुर को स्थानान्तरित किया गया। जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1018 दिनांक 25.01.2021 से अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है उक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 783 दिनांक 19.11.2020 से आवेदक को उपलब्ध कराई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का प्रा0पत्र परियोजना निदेशक स्वच्छ भारत अभियान धौलपुर को स्थानान्तरित किया गया। जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1018 दिनांक 25.01. 2021 से अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	

		स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है **उक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 783 दिनांक 19.11.2020 से अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रार्थी के सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर हो रहे है।** अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	